

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0035/2020-21/अ-20(3)नजूल

मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने बावत्।

//आदेश//

(आज दिनांक 27.03.2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर ने पत्र क्रमांक/मा.चि./20/3064 दिनांक 31.07.2020 से आयुक्त संभाग ग्वालियर से मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में कुल प्रभावित वन भूमि 1248.21 वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि अधिनस्त जिलों से उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस क्रम में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने पत्र क्रमांक/क्यू/राजस्व/19-15/22/2020/7121 दिनांक 24.08.2020 से पत्र दिनांक 31.07.2020 से शिवपुरी जिले से भारत सरकार की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी/कोलारस से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	तह.न्या.का पृ.क्र.	अनु.अधि.का पृ.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	परियोजना हेतु देने के लिये प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)	ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव क्र. व दि.	नक्शा खसरा	अन्य दस्तावेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	तह.शिवपुरी का प्र. क्र.0301/ब-121/2020-21	अनु.अधि.शिवपुरी का प्र.क्र. 0581/ब-121/2020-21	मझेरा	360	42.790	40.790	क्र. 07 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
			बिरधा	101	20.900	18.990	क्र.08 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
			अर्जुनगवा कलां	1/1	37.260	25.00	क्र.10 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
2	तह.बदरवास का प्र.क्र./0187/ब-121/2020-21	अनु.अधि.कोलारस का प्र.क्र./0579/ब-121/2020-21	कुंडाई	1	20.96	20.96	क्र. 03 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
			कुंडाई	2	8.10	8.10	क्र. 03 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
			कुंडाई	3	26.03	26.03	क्र. 03 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
			कुंडाई	4	5.46	5.46	क्र. 03 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
3	तह.बदरवास का प्र.क्र./0188/ब-121/2020-21	अनु.अधि.कोलारस का प्र.क्र./0578/ब-121/2020-21	अजलपुर	57	29.08	29.08	क्र.04 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
4	तह.रन्नौद का प्र.क्र./0101/ब-121/2020-21	अनु.अधि.कोलारस का प्र.क्र./0577/ब-121/2020-21	सुनाज	350	10.54	10.54	क्र.15 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
			सुनाज	2250	51.66	51.66	क्र.15 दि.08.03.21	संतग्न है	उद्यघोषणा जारी की गई
		योग	06		252.78	236.62			

प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण सेवदा दतिया के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि दिये जाने की सहमति प्रदान की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भाग पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। उद्यघोषणा इशतहार प्रकाशन किया गया जिसमें अंदर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। खसरा नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न की गई है। उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस के प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव, जिला नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा तथा नगर निवेश गुना के अभिमत के आधार पर उक्त तालिका के कॉलन नं. 7 अनुसार 06 ग्रामों की कुल भूमि 236.62 हेक्टेयर भूमि मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना दतिया सेवदा, जिला दतिया के निर्माण में वन भूमि प्रभावित होने से वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 एवं मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 17 के तहत म.प्र. शासन वन विभाग को निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है।

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा;
2. आवंटन भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा;

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बदरवास/ तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का खसरे में अमल कराये एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाये जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 27/03/21

प्रकरण क्र./0035/2020-21/अ-20(3)नजूल 491-500

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान- मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल दतिया की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. परियोजना प्रबंधक, मां रतनगढ़ परियोजना क्रियन्वयन इकाई सेवदा जिला दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस/ शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी/ बदरवास की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
9. अधीक्षक, भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक नजूल(भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्ररूप दो

(देखें कंडिका 13, 22, 29, 37, 48, 94, 101 और 107)

नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जांच प्रतिवेदन का प्ररूप

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा -

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन
2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन
3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी हक में आवंटन के लिए आवेदन
4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन
5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन

कार्यालय नजूल अधिकारी जिला 12/8/20

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0301/ब/12/20-21

प्रति,

कलेक्टर जिला 12/8/20

जांच प्रतिवेदन
(दिनांक 27/10/21) 02/

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिह्नित करें)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ राज्य शासन का विभाग | ☐ केन्द्र शासन का विभाग | ☐ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल |
| ☐ राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन | ☐ केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन | ☐ ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए |
| ☐ नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | ☐ निजी निवेशक | ☐ युद्ध में मृत सैनिक का परिवार |
| ☐ पंचायती राज संस्था | ☐ पूर्ण संस्था | |
| ☐ सहकारी संस्था | | |

भाग - एक

सामान्य
(सभी मामलों के लिए लागू)

1.2 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है) (संस्थागत आवेदन के मामले में) 1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम (व्यक्तिगत आवेदन के मामले में) 1.3. आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम 1.4 लिंग	मा. रतनराव विठ्ठलराव परिवारजना
2 आवेदक के डाक पता, ईमेल पता तथा दूरभाष क्रमांक के विवरण मोबाइल नम्बर सहित	शासकीय विभाग वन विभाग
3 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के विवरण	10000000 प्रति 200000 प्रति
4 प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो) 4.1 जमा की गई राशि 4.2 चालान क्रमांक 4.3 जमा करने की दिनांक	लागू नहीं
5. 5.1 आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करने का दिनांक 5.2 कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर की गई कार्यवाहियों के विवरण 5.3 मामला जांच व प्रतिवेदन हेतु जांचकर्ता अधिकारी को प्राप्त होने का दिनांक	05/12/2020 प्राप्त/523/20-1/2020

आवेदित भूमि के विवरण

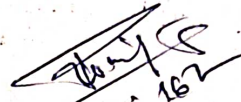
जिला रिवापुरी तहसील रिवापुरी

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त <u>04 ग्वागण</u> पटवारी हल्का <u>162, 171</u> ग्राम		नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर सेक्टर	
क्र.	खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
1	क़ात - महारा - खसरा 360	42.790	40.790 ई.
2	क़ात - विरधा - खसरा 101	20.900	18.900 ई.
3	क़ात अर्जुनगवाला - 1/1	37.260	25.00 ई.
योग			

7.	7.1 सार्वजनिक सद्व्यवस्था जारी करने के विवरण 7.2 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों के विवरण 7.3 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों पर जांच अधिकारी द्वारा की गई विवेचना तथा निष्कर्ष	<u>संलग्न है</u> <u>कोई आपत्ति प्राप्त नहीं</u>
8.	8.1 स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश तथा अन्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही के विवरण 8.2 प्राप्त अभिमतों के विवरण 8.3 प्राप्त अभिमतों पर जांच अधिकारी	

निष्कर्ष	
निवेदित भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसके विवरण दें तथा न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो उसके विवरण दें	नहीं


प.सं. 171


प.सं. 162


तहसीलदार
तहसील शिवपुरी (म.प्र.)


अनुविभागीय अधिकारी
बरगना शिवपुरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)